

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक / रीडर / 2025 / 3627

दिनांक 06/10/2025

उपरोक्त प्रकरण- अमरचंद बनाम गूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या- 163 / 2025

—: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 16 / गू.अ. / 2025 दिनांक 29/09/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम कोटड़ी सिमरला पटवारी हल्का कोटड़ी सिमरला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के गूमि खाता संख्या 264, 59 में खातेदार अमरचंद पुत्र बालू राम जाति मीणा का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। पटवारी हल्का कोटड़ी सिमरला उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

अनिल कुमार
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 06/10/2025

कमांक / रीडर / 2025 / ~~3628~~ - 29

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का कोटड़ी सिमरला तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

अनिल कुमार
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

